मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फा.क. /स्टोर/2018/2425 भोपाल दिनांक 23-03-2018

प्रति,

समस्त कलेक्टर

जिला ..... म.प्र.।

विषय : प्रदेश स्थित वक्फ संपत्ति को राजस्व अभिलेख में अहस्तांतरणीय (मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड) दर्ज करते हुये राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र पृष्ठांकन क. 278/169/2018/54–2 दिनांक 12.03.2018

———000———

प्रदेश स्थित समस्त जिलों के अंतर्गत वक्फ संपत्ति किसी न किसी रूप में (जैसे मस्जिद, कब्रस्तान, मकान, दुकान, जमात खाने, मुसाफिर खाने, कृषि भूमि, खुली भूमि) मौजूद है। उक्त वक्फ संपत्तियों की प्रबंध व्यवस्था हेतु बोर्ड द्वारा मुतवल्ली/प्रबंध समितियों का गठन किया जाता है, परंतु उक्त वक्फ संपत्तियों के संबंध में समय समय पर अतिक्रमण तथा अवैध रूप से क्रय विक्रय किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है। जबकि समस्त वक्फ संपत्ति पूर्णतः अहस्तांतरणीय है।

उक्त संबंध में समय समय पर शासन द्वारा परिपत्र अथवा अर्द्ध शासकीय पत्रों द्वारा प्रदेश के समसत जिलों के कलेक्टर्स को राजस्व अभिलेखों में वक्फ संपत्ति "अहस्तांतरणीय वक्फ बोर्ड" दर्ज करने हेतु जारी किये गये है।

वर्तमान में सचिव मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के अशा. प क्र. एफ 4–1/2017/54–2 दिनांक 26/08/2017 एवं पत्र क. 277–78/69/2018/54–2 दिनांक 12.03.2018 के द्वारा भी वक्फ संपत्तियों की नीलामी कर नीलामी की आय वक्फ बोर्ड को भेजने एवं वक्फ संपत्ति को राजस्व अभिलेख में अहस्तांतरणीय संपत्ति के रूप में चिन्हित बाबत भी निर्देश दिये गये हैं। (प्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि शासन के निर्देशानुसार वक्फ संपत्तियों को राजस्व अभिलेख के खसरे आदि में वक्फ संपत्ति को अहस्तांतरणीय संपत्ति के रूप में अंकित करते हुये राजपत्र में प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल

D : 2018/ Letter 10

क्र/स्टोर/2018/

D.N.2425 — 23.3.18

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1 निज सचिव, मान. मंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल।
2 सचिव पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3 आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण सतपुड़ा भवन भोपाल।
4 निज सहायक, मान. अध्यक्ष महोदय वक्फ बोर्ड भोपाल।
5 समस्त ओ.आई.सी. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड मुख्यालय।
6 समस्त शाखायें, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड मुख्यालय।
7 समस्त जिला वक्फ कमेटी, मध्यप्रदेश।
8 समस्त वक्फ प्रबंध कमेटी मध्यप्रदेश।
9 समस्त प्रभारी/सहायक पंजीयन शाखा मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल।
10 आदेश नस्ति।
11 आई.टी.सेल. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल

रमेश एस थेटे
आय.ए.एस.
सचिव

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल - 462004
दूरभाष : 0755-2550957

अशा. पत्र क्र. F4-1/2017/54-2

भोपाल, दिनांक : 26/08/2017

मध्यप्रदेश में स्थित वक्फ संपत्तियों का सर्वे वक्फ अधिनियम 1954 लागू होने के बाद वक्फ कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण कराकर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3(1) में उनका प्रकाशन कराया जा चुका है।

2/ वक्फ बोर्ड पर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा,नियंत्रण विकास व अन्य कल्याणकारी कार्यवाही करने का दायित्व है। इस हेतु पर्याप्त धन राशि की आवश्यकता होती है। वर्तमान में वक्फ संपत्तियों से आय का केवल 7 प्रतिशत भाग वक्फ बोर्ड को वक्फ अधिनियम के प्रावधानुसार प्राप्त होता है,जिससे उपरोक्त कार्य करना संभव नहीं है। प्रदेश में एक बडी संख्या में कृषि भूमियां है,जिनकी उचित देखरेख व नियंत्रण से वक्फ बोर्ड को पर्याप्त राशि प्राप्त हो सकती है, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने ऐसी संपत्तियों को अवैध रूप से फेरबदल कर राजस्व रिकार्ड में स्वयं के नाम दर्ज करा लिया है,जो पूर्णतः अनुचित है। मुतवल्ली/मुतवल्ली कमेटी/मुजाविर केवल व्यवस्थापक है,भूमि स्वामी नहीं।

3/ सर्वप्रथम उचित होगा कि यदि किसी मुतवल्ली/मुजाविर के नाम की प्रविष्टी राजस्व अभिलेखों में की गई है तो उसे तत्काल निरस्त किया जाकर " वक्फ संपत्ति अहस्तांतरणीय " अंकित किया जावे।

4/ वक्फ बोर्ड से प्रतिवर्ष कृषि भूमियों की नीलामी हेतु संबंधित तहसीलदारों को वक्फ संपत्ति की सूची संलग्न कर नियमानुसार नीलामी करने हेतु लिखा जाकर प्रति संबंधित कलेक्टर को पृष्ठांकित की जाती है, परन्तु संबंधित तहसीलदारों से वक्फ बोर्ड की कोई जानकारी या नीलामी से प्राप्त आय वक्फ बोर्ड को नहीं भेजी जाती।

5/ अतः इस संबंध में आप अपने जिले के अंतर्गत आने वाली तहसीलों के तहसीलदारों को निर्देशित करें कि वक्फ संपत्ति की नीलामी से प्राप्त आय तत्काल वक्फ बोर्ड को भेजें, साथ ही पूर्व में की गई नीलामी से प्राप्त संपूर्ण राशि भी वक्फ बोर्ड को अविलम्ब भेजें,ताकि वक्फ की आय में वृध्दि हो सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Rameshthete

(रमेश एस थेटे)

22.8.17

प्रति,

श्री
कलेक्टर,
जिला–

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक /169/2018/54-2 भोपाल दिनांक / /2018

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला----------म0प्र0।

विषय:-- वक्फ सम्पत्ति को राजस्व अभिलेख में अहतांतरणीय चिन्हित करते हुए राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

.....000.....

मध्यप्रदेश में स्थित वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में समय-समय पर शिकायत प्राप्त होती है कि कतिपय लोगों द्वारा वक्फ सम्पत्ति का अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया जाता है।

2/ वक्फ बोर्ड की समस्त सम्पत्ति पूर्णत: अहस्तांतरणीय है।

3/ अत: वक्फ की सम्पत्ति के अवैध रूप से संभावित राजस्व अभिलेख के खसरा नंबर आदि वक्फ सम्पत्ति को अहस्तांतरणीय सम्पत्ति के रूप में चिन्हित करते हुए राजपत्र में प्रकाशित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(रमेश एस थेटे)
सचिव
म0प्र0शासन
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक 428 /169/2018/54-2 भोपाल,दिनांक 12 / 3 /2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में अपनी ओर से भी प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

//2//

86 |R A/mw/remander

3. आयुक्त, सर्वे वक्फ,म0प्र0भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0वक्फ बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
म0प्र0शासन 9.3.18
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग